

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

THE COURT

272 of
2017 B.A

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
27 / 07 / 2017 01:45 से 02:00 पी.एम.	<p>आवेदक जैकी उर्फ जयकुमार द्वारा श्री मुंशीसिंह यादव अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>थाना मौ के इस्तगासा क्र0-02/2017 अंतर्गत धारा-41 (1)4 द.प्र.सं. व 379 भा.दं.वि0 की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक जैकी उर्फ जयकुमार के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दप्रस के साथ उसके भाई दीपक का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथ पत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का 439 दप्रस का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। समान प्रकृति का कोई अन्य आवेदन किसी अन्य समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही निरस्त किया गया है। मूल अभिलेख से भी ऐसा ही प्रकट है।</p> <p>जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह निर्दोष है वह 26 वर्षीय नवयुवक है। अधिक समय तक जेल में रहने से उसकी मानसिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जब कि अपराध आजीवन कारावास एवं मृत्यु दण्ड से दण्डित नहीं है। आवेदक काफी समय से निरोध में है। जमानत पर रिहा होने पर आवेदक कहीं भाग कर नहीं जायेगा और अभियोजन साक्ष्य प्रभावित नहीं करेगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया है और आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक-05/07/2017 को अन्य अपराध क्र0-166/2017 में संदेही जैकी उर्फ जयकुमार से पूछताछ करने पर उसने अपने पास दो मोटरसाइकिल अपाचे व पल्सर होना बताया, आवेदक/अभियुक्त जैकी उर्फ जयकुमार को गिरफ्तार किया गया, उसके आधिपत्य से उसके घर वार्ड नंबर-3, लुहार मोहल्ला मौ से दो मोटरसाइकिल एक पल्सर व एक अपाचे रजिस्ट्रेशन नंबर की प्लेट के बिना पायी गयी, जिन्हें जब्त किया गया। इस्तगासा क्र0-02/2017 अंतर्गत धारा-41 (1)4 द.प्र.सं. व 379</p>	

भा.दं.वि० पंजीबद्ध किया गया।

दौराने अनुसंधान उक्त दोनों मोटरसाइकिल के संबंध में आर.टी०ओ. कार्यालय से जानकारी लेने पर एक मोटरसाइकिल अपाचे रजि.क्र.—एम.पी.—०७ एम.व्ही.—९८०९ नाथूराम शर्मा के नाम दर्ज है। दूसरी मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी प्राप्त होना है। केस डायरी के साथ आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदक जैकी उर्फ जयकुमार के विरुद्ध तीन प्रकरण चोरी के, एक प्रकरण आयुध अधिनियम का, एक प्रकरण धारा—३४ म.प्र. आवकारी अधिनियम का, दो प्रकरण मारपीट के, तथा एक प्रकरण म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम का है। आवेदक से जो दो मोटरसाइकिल जब्त की गयी हैं, जिससे स्पष्ट है कि समूह में चोरी की गयी है। आवेदक का आपराधिक इतिहास भी है। मामले की इन संपूर्ण परिस्थितियों व तथ्यों, आवेदक के कृत्य एवं उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसको जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उसका जमानत आवेदनपत्र **निरस्त** किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस थाना मौ की भेजी जाए।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार में जमा हो।

(मोहम्मद अज़हर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)